



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122025-268877
CG-DL-E-29122025-268877

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5824]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 26, 2025/पौष 5, 1947

No. 5824]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 2025/PAUSHA 5, 1947

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6023(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देवघर के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में नामित करती है:

I. धारा 4 के खंड (क) के तहत सदस्य:

- कुलपति, केंद्रीय विश्वविद्यालय, झारखंड

II. धारा 4 के खंड (घ) के तहत सदस्य:

- अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार – वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि
- निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धनबाद – शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि

III. धारा 4 के खंड (ड) के तहत सदस्य:

- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति
- मुख्य सचिव, झारखंड सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति
- डॉ. वनीता सूरी, पूर्व प्रमुख (प्रसूति एवं स्त्रीरोग), पोस्टग्रेजुएट चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़

IV. धारा 4 के खंड (च) के तहत सदस्य:

- डॉ. रविकीर्ति, प्रोफेसर (जनरल मेडिसिन), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना
- डॉ. प्रदीप भाटिया, विभागाध्यक्ष (एनेस्थीसियोलॉजी एवं क्रिटिकल केयर), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर
- डॉ. अंजु धवन, प्रमुख, नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
- डॉ. जगदीश मेनन, प्रोफेसर (ऑर्थोपेडिक्स), जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी

2. तदनुसार, संस्थान निकाय की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	सदस्य का नाम/पद	टिप्पणियाँ
धारा 4 के खंड (क) के तहत सदस्य :		
1.	कुलपति, केंद्रीय विश्वविद्यालय, झारखंड	
धारा 4 के खंड (ख) के तहत सदस्य :		
2.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	पदेन सदस्य
धारा 4 के खंड (ग) के तहत सदस्य :		
3.	संस्थान के निदेशक	पदेन सदस्य
धारा 4 के खंड (घ) के तहत सदस्य :		
4.	अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार – वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि	
5.	निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धनबाद – शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि	
धारा 4 के खंड (ड) के तहत सदस्य :		
6.	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति	
7.	मुख्य सचिव, तेलंगाना सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति	
8.	रिक्त	
9.	डॉ. वनीता सूरी, पूर्व प्रमुख (स्त्रीरोग एवं प्रसूति), पोस्टग्रेजुएट चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	

10.	डॉ. एम् वी पद्मा श्रीवास्तव संस्थान निकाय के अध्यक्ष	07.08.2025 को जारी का. आ. 3638(अ) के माध्यम से नामांकित, राजपत्र आईडी संख्या सी.जी.-डी.एल.-अ.- 08082025-265324 के तहत प्रकाशित
धारा 4 के खंड (च) के तहत सदस्य :		
11.	डॉ. रविकीर्ति, प्रोफेसर (जनरल मेडिसिन), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना	
12.	डॉ. प्रदीप भाटिया, विभागाध्यक्ष (एनेस्थीसियोलॉजी एवं क्रिटिकल केयर), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर	
13.	डॉ. अंजु धवन, प्रमुख, नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	
14.	डॉ. जगदीश मेनन, प्रोफेसर (ऑर्थोपेडिक्स), जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी	
धारा 4 के खंड (छ) के तहत सदस्य :		
15.	श्री सुखदेव भगत, संसद सदस्य, लोक सभा	13.01.2025 को जारी का. आ. 250(अ) के माध्यम से नामांकित, राजपत्र आईडी संख्या सी.जी.-डी.एल.-अ.- 14012025-260223 के तहत प्रकाशित
16.	डॉ. निशिकान्त दूबे, संसद सदस्य, लोक सभा	
17.	श्री प्रदीप कुमार वर्मा, संसद सदस्य, राज्य सभा	16.01.2025 को जारी का. आ. 295(अ) के माध्यम से नामांकित, राजपत्र आईडी संख्या सी.जी.-डी.एल.-अ.- 16012025-260272 के तहत प्रकाशित

3. सदस्यों का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. Z-28016/62/2024-PMSSY-IV(8302264)]

अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2025

S.O. 6023(E).—In exercise of powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates the following as members of the Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, Deoghar :

I. Member under clause (a) of Section 4:

- i. Vice-Chancellor, Central University of Jharkhand

II. Members under clause (d) of Section 4:

- i. Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare – Representative of Ministry of Finance

- ii. Director, Indian Institute of Technology, Dhanbad – Representative of Ministry of Education

III. Members under clause (e) of Section 4:

- i. Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India or his/her nominee
 ii. Chief Secretary, Government of Jharkhand or his/her nominee
 iii. Dr. Vanita Suri, Ex. Head (Obst. & Gynae.), PGIMER, Chandigarh

IV. Members under clause (f) of Section 4:

- i. Dr. Ravikirti, Professor (General Medicine), AIIMS, Patna
 ii. Dr. Pradeep Bhatia, HoD (Anesthesiology & Critical Care), AIIMS, Jodhpur
 iii. Dr. Anju Dhawan, Chief, National Drug Dependence Treatment Centre, AIIMS, New Delhi
 iv. Dr. Jagdish Menon, Professor (Orthopedics), JIPMER, Puducherry

2. Accordingly, the current composition of the Institute Body is as under :

S.No.	Name/Designation of the Member	Remarks
Member under clause (a) of Section 4:		
1.	Vice-Chancellor, Central University of Jharkhand	
Member under clause (b) of Section 4:		
2.	Director General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India	<i>Ex-officio</i>
Member under clause (c) of Section 4:		
3.	The Director of the Institute	<i>Ex-officio</i>
Member under clause (d) of Section 4:		
4.	Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare – Representative of Ministry of Finance	
5.	Director, Indian Institute of Technology, Dhanbad – Representative of Ministry of Education	
Member under clause (e) of Section 4:		
6.	Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India or his/her nominee	
7.	Chief Secretary, Government of Jharkhand or his/her nominee	
8.	Vacant	
9.	Dr. Vanita Suri, Ex. Head (Obst. & Gynae.), PGIMER, Chandigarh	
10.	Dr. M V Padma Srivastava President of the Institute Body	Nominated vide S.O. 3638(E) dated 07.08.2025, published under Gazette ID No. CG-DL-E-08082025-265324
Member under clause (f) of Section 4:		
11.	Dr. Ravikirti, Professor (General Medicine), AIIMS, Patna	
12.	Dr. Pradeep Bhatia, HoD (Anesthesiology & Critical Care), AIIMS, Jodhpur	
13.	Dr. Anju Dhawan, Chief, National Drug Dependence Treatment Centre, AIIMS, New Delhi	
14.	Dr. Jagdish Menon, Professor (Orthopedics), JIPMER, Puducherry	

Member under clause (g) of Section 4:		
15.	Shri Sukhdeo Bhagat, Member of Parliament, Lok Sabha	Nominated vide S.O. 250(E) dated 13.01.2025, published under Gazette ID No. CG-DL-E-14012025-260223
16.	Dr. Nishikant Dubey, Member of Parliament, Lok Sabha	
17.	Shri Pradip Kumar Varma, Member of Parliament, Rajya Sabha	Nominated vide S.O. 295(E) dated 16.01.2025, published under Gazette ID No. CG-DL-E-16012025-260272

3. The term of office of members shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/62/2024-PMSSY-IV(8302264)]

ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.